न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 468/2016/डिक्री

जगदीश पिता शंकर सुथार
निवासी सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. मोती उर्फ मोतीलाल मृतक के बजाय –
   1. रतनलाल पिता मोतीलाल सुथार
   2. श्यामलाल पिता मोतीलाल सुथार
   3. कैलाश चन्द्र पिता मोतीलाल सुथार
   4. नन्दुबाई पुत्री मोतीलाल सुथार
   5. टमुबाई बेवा मोतीलाल सुथार
2. मूलचंद पिता मथरालाल सुथार
   सभी निवासी सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. कृष्णाकंवर पत्नि प्रहलाद सिंह
4. जगदीश कंवर पत्नि गिरधारी सिंह
5. भेरू पिता मोहन सुथार
   सभी निवासी मेडी का अमराना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. भगवतीलाल पिता प्रभुलाल डांगी
7. संजय पिता चांदमल बोलिया
   निवासी गांधीनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. लक्ष्मण सिंह पिता नारायण सिंह
   निवासी चामटीखेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 02/11/2016 प्रकरण संख्या 36/2014

उपस्थित –
1. श्री सम्पत कुमार जणवा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सत्यनारायण – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–7
3. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1(1) 1(5)
4. श्री सुरेश शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–3

निर्णय दिनांक : – 06.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 ने अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध धारा 88,89 53 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सामरी तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 195,197,198,200 से 203 तक 211,236,579,600 कुल रकबा 4.26 है0 मे से उसका 1/2 हक की घोषणा की जावे तथा तद्नुसार विभाजन किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 97 को निरस्त किया जावे। इत्यादी प्रार्थना की इसके प्रत्युत्तर मे अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे 1/2 हक नही है। पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर अपनी राजीनामा द्वारा दिनांक 23/04/1991 द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने कर दिया जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजीयात के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी नम्बर 197 रकबा 0. 34, 236 मे से 0.23 है0, भूमि विभाजन मे प्राप्त हुई। यह विभाजन दोनो पक्षो ने आपसी सहमति से गवाहान की मौजुदगी मे हस्ताक्षर कर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत कर राजीनामा तहसीलदार चित्तौडगढ़ से तस्दीक करवाया। तद्नुसार तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने विभाजन किया एवं उसकी पालना मे नामान्तकरण संख्या 97 निर्णित किया। इस प्रकार प्रश्नगत आराजीयात का विभाजन 23/04/1991 को हो चुका था। इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16/06/2016 के विरूद्ध अपीलार्थी ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण संख्या 364/16 हाकेर जेर विचाराधीन है। इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जा चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय की तलबी के आदेश से अवगत होने के बावजूद भी आदेश दरकिनार कर अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर जो नैसर्गिक न्याय एवं साम्य के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व प्रस्तावित विभाजन सूची पर अपीलार्थी को सुनवाई का न जो अवसर दिया तथा नही प्रस्तावित विभाजन सूची पर आपत्तियां भी प्राप्त नही की गई और न आपत्तियो का निराकरण किया। प्रस्तावित विभाजन सूची तैयार करने से पूर्व अपीलार्थी को मौके पर उपस्थित रहने के लिये कोई सूचना पत्र प्रेषित नही किया गया। प्रस्तावित विभाजन सूची अपीलार्थी की गैर मौजुदगी मे प्रत्यर्थी के कथनानुसार कार्यालय मे बैठकर बनाई गई। मौके पर विभाजन सूची तैयार की जाती तो निशचित रूप से अपीलार्थी को सम्मिलित किया जाता। प्रस्तावित विभाजन सूची बनाते समय एवं अंतिम डिक्री पारित करते समय इस बिन्दु पर विचार किया जावेगा कि विभाजन मौके पर

कब्जे को छोडे बिना संभव हो तो उस अनुसार किया जाना चाहिये तथा भूमि का विभाजन भूमि किस्म, लगान मुख्य मार्ग के अनुसार एवं मालियत के आधार पर दृष्टिगत रखी जाये। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02/11/2016 को निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि कैम्प के पूर्व दिनांक 13.4.2016 की आदेशि का में आगामी तारीख पेशी 4.7.2016 थी जिसको दिनांक 16.6.2016 को ग्राम सांगरी में शिविर बताकर निर्णित कर दी गई। पत्रावली में तनकीयात कायम होनी थी ये भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की है। प्रतिवादी सख्या 1 में भूप्रबंधक अधिकारियों से मिलकर राजीनामे के आधार पर अपने नाम करवा ली जिसके कारण अपीलान्ट को उनका हिस्सा नहीं मिला। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.3.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 6 एवम 7 में प्रस्तुत किया। जो स्वीकार की जाकर दिनांक 19.4.2012 को दावा खारीज कर दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 8.1.2014 को हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 02/11/2016 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्थ किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा आरआरटी 2009(2) पृष्ठ 841 तथा 2008 (2) आरआरटी पृष्ठ 1090 की नजीरें पेश की गई।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सी–8 जो कि सम्वत 2041–44 की जमाबंदी है, में जगदीश /शंकर तथा मोती /भैरा के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। भूप्रबंध विभाग ने जो राजीनामा हुआ है उसमें यही भूमि उल्लेखित है । राजीनामे में जगदीश /शंकर के नाम 2.71 हेक्टेयर तथा मोती /भैरा के नाम 1.50 हेक्टेयर भूमि रखी गई है। आपसी सहमति से उक्त बंटवारा 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार नहीं हुआ । यदि बंटवारा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से होता तो 1–2 हारी का अन्तर होता । इसी को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में 1/2–1/2 हिस्से की घोषणा व बंटवाडा चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों की सहमति के आदेशिका पर दस्तखत करवाते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। वकील रेस्पोंन्डेन्ट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के सम्बन्ध में भी आपत्ति करते हुए उल्लेख किया कि

सहमति के पश्चात बदनियती से यह अपील की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहिस्सा बराबर घोषणा की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत बंटवाडा प्रस्ताव मंगाया जाकर विभाजन किया गया है जो विधि सम्मत है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे । रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट बयान किया कि वे दावे में क्रेता है। उनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही हुई थी। सम्वत 2065–68 की जमांबदी में सम्पूर्ण खाता उनके नाम आ गया है, इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करनें में कोई त्रुटि नही की है वरन् जमाबंदी के मुताबिक 1/2 –1/2 हिस्सा घोषित किया है। सेटलमेंट विभाग को आपसी राजीनामे के आधार पर किसी खातेदार का हक/हिस्सा कम या ज्यादा करने की शक्तियां प्रदत्त नही है। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया जा कर विभाजन किया गया है जिसमें भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 36/2014 मे पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 02/11/2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़